(125)

राजस्थान सरकार
निदेशालय स्थानीय निकाय, राजस्थान, जयपुर

कमांकःप.8(क)(या) (17)/डीएलबी/2018/ 856 ,दिनांकः 21-02-2022

—:आदेश :—

डी.बी सिविल याचिका संख्या 16572/2018 अनीता बनाम सरकार व अन्य, डी.बी सिविल याचिका संख्या 13489/2018 ममता बनाम सरकार व अन्य, डी.बी सिविल याचिका संख्या 3475/2018 गीतांजली तेजी बनाम सरकार व अन्य को माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एक ही निर्णय दिंनाक 02.04.2019 से निर्णित किया है।

प्रकंरण अनुसार वर्ष 2018 में विभिन्न नगर पालिकाओं/परिषदों के द्वारा सफाई कर्मचारीयो की भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किये गये। उक्त भर्ती में राज. नगर पालिका (सफाई कर्मचारी) नियम 2012 में नियम 9A जोडा गया। जिसके अनुसार दिंनाक 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतानों संबधी प्रावधानं को नियुक्ति के लिये निरर्हता के रूप में जोडा गया था।

उक्त याचिकाओं द्वारा उक्त नियमों में संशोधन को चुनौती दी गई। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा उक्त याचिकाओं को स्वीकार करते हुये उक्त संशोधन को राज. नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 337(6) के अनुरूप नही होने के कारण निरस्त करने हेतु निर्णय पारित किया।

उक्त निर्णय दिंनाक 02.04.2019 को स्थाई समिति की बैठक में रखा गया। जिसमें प्रकरण में आगे अपील नही किये जाने का निर्णय लिया गया तथा उक्त निर्णय की पालना बाबत आदेश क्रंमाक 60—477 दिंनाक 09.01.2020 के जरिये समस्त निकायों को पालना हेतु सूचित किया गया तथा साथ ही उक्त पत्र के (Endorsement no. 4) प्रतिंलिपि संख्या 04 के द्वारा अति0 निदेशक/उप निदेशक (प्रशासन) को भी निर्देशित किया गया कि दो से अधिक संतानों के संबध में नियुक्ति हेतु निर्देशित निरर्हता संबधी प्रावधान विभाग के सभी प्रभावी सेवा नियमों में भविष्यलक्षी प्रभाव से जोडे जाने के संबध में आवश्यक कार्यवाही करें। चूंकि वर्तमान में इस संबध में विभिन्न अवमानना याचिकायें माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर में लम्बित है।

अतः उक्त प्रासंगिक पत्र दिंनाक 09.01.2020 एवं स्थाई समिति की बैठक कार्यवाही विवरण दिंनाक 26.06.2019 की प्रति संमस्त प्रभारी अधिकारी केस/आयुक्त नगर परिषद/नगर निगम एवं उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग को भेजकर उक्तानुसार निर्देशित किया जाता है कि वर्ष 2018 की सफाई कर्मचारी भर्ती से संबधित समान प्रकृति के प्रकरणों में उक्त निर्णय दिंनाक 02.04.2019 की पालना में माननीय न्यायालय के समक्ष लबिंत अवमानना याचिकाओं में अति. महाधिवक्ता/राजकीय अधिवक्ता से संपर्क कर जवाब प्रस्तुत करावे तथा लंबित अवमानना याचिका को खारिज करावे।

(ह्रदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

Scanned by TapScanner

कमांकःप.8(क)(या) (17)/डीएलबी/2018/857 - 1086 दिनांकः 21-02-2022

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. अतिरिक्त महाधिवक्ता, श्री सुनील बेनीवाल, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर।
02. अतिरिक्त महाधिवक्ता, श्री अनिल मेहता, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर।
03. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर।
04. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर।
05. अतिरिक्त निदेशक स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
06. उपनिदेशक (प्रशासन) स्वायत्त शासन विभाग जयपुर ।
07. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका समस्त राजस्थान।
08. उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग समस्त राजस्थान।
09. प्रोग्रामर आई. टी. सेल को भेजकर लेख है कि वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

Scanned by TapScanner